04/2/26

23/02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र u/s 212 R.T. Act दि. 09/03/26 को पेश हो।

[हस्ताक्षर]
23/02/26

09/03/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ~~14/05/2026~~ को पेश हो।
14/5/2026

[हस्ताक्षर]
09/3/26

~~14/05/26~~
14/5/26
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। आवेदक/प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पिड़ावा की वाकअत (?) आराजी हाल ख० नं० 355, 356, 362, 369 व 370 किता 5 मूल रूप से किफायत उल्ला के खाते दर्ज थी जो विरासत से दोनों फारूख (?) शेख बशीर

न्यायालय उपखण्ड ... पिड़ावा जिला झाल... सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

पर शेख यासीन हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज हुई थी। शेख बशीर के फौत होने पर विरासत से (दो पुत्रों व एक पुत्री- नज्मीरन बी के स्थान पर) दोनों पुत्रों - शेख छोटा व शेख बहादुल्ला खाँ उर्फ छीतू के खाते दर्ज कर दी गई और पुत्री नज्मीरन बी को शादीशुदा दिखाकर नाम डीलीट कर दिया गया था। नामान्तरण सं0 602 Dt 02/10/1991 की पावती पर मृतक शेख बशीर के सजरे में दो पुत्र व एक पुत्री- नज्मीरन बी अंकित है। प्रार्थी की माता नज्मीरन बी को बिना नोटिस दिये व सुने, गैर कानूनी रूप से अपने पिता की संपत्ति में निहित हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया अतः खोटी नामान्तरण सं0 602 Dt 02/10/1991 प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है।

अप्रा0 अप्रार्थीगण का कथन है कि नामा0 सं0 602 दिनांक 02/10/1991 से पुत्री नज्मीरन बी के नाम दर्ज हुआ था लेकिन नज्मीरन बी व शेख बहादुल्ला खां अपने हिस्से 2/3 (1/3+1/3) का बेचान जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 06/06/1992 को शेख छोटा कर दिया गया। अतः नज्मीरन बी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहने से चौसाला जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं हुआ। सम्पूर्ण भूमि केवल शेख छोटा के नाम दर्ज हुई और शेख छोटा ने जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 18/6/2002 को किता 5 कुल रकबा 6-17 बीघा का बेचान अप्रार्थी 1 मुन्नी बी कर कब्जा सौंप दिया था और आज तक काबिजकाश्त चली आ रही है। नामा0 सं0 602 की नज्मीरन बी ने कभी कोई अपील नहीं की थी। उनकी मृत्यु होने पर लालच में आकर प्रार्थी द्वारा 33 वर्षों बाद वाद दायर की किया है जो खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया / उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त भूमि ख०नं० 355, 356, 362, 369 व 370 कुल किता 05 मूलतः खातेदार किफायतउल्ला के खाते दर्ज थी जो उसके फौती नामान्तरण से दोनो पुत्रो — शेख बशीर व शेख यासीन हिस्सा ½-½ दर्ज हुई थी। वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2037-40 के अनुसार ख०नं० 355 व 370 किता 2 कुल रकबा 2-17 बीघा भूमि शेख बशीर पिता किफायतउल्ला, एवं ख०नं० 356 व 369 किता 2 कुल रकबा 3-12 बीघा शेख यासीन पिता किफायतुल्ला के खाते तथा ख०नं० 362 रकबा 0-10 बीघा दोनो भाईयो के शामलाती दर्ज थी / यह बटवारा से हुआ था या कोर्ट से — यह स्पष्ट नही है / आगामी सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2042-41 मे भी यह अंकन है / संवत 2046-49 मे भी यही अंकन दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश नामान्तरण सं० 602 दिनांक 23/10/1991 के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार शेख बशीर पिता किफायतुल्ला के फौती स्वत्व मे दो पुत्र - शेख छोटा एवं वहीदुल्ला एवं एक पुत्री नजीरन बी - बताये गये है और तीनो के पक्ष मे ही नामान्तरण भरा गया (पंजिका के column No. 9) था / नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ (back side) भाग पर तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक ने भी शेख बशीर के तीन वारिसान (including daughter नजीरन बी) माने है / ILR ने अपनी जाँच रिपोर्ट मे ख०नं० 370 रकबा 1-08 बीघा की शेख बशीर द्वारा अपने पुत्र शेख छोटा की पत्नि हमीदा बी के पक्ष मे ~~की~~ एक रजिस्टर्ड वसीयत

न्यायालय उपखण्ड ... पिडावा जिला झालावाड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	3.
	किये जाने और इस वसीयत के नामान्तरण को धारा - 39 RT Act के विरुद्ध मानने की रिपोर्ट पेश की थी जिसे तहसीलदार पिड़ावा ने दिनांक 29/11/1991 को खारिज कर ख०नं० 370 रकबा 1-08 बीघा का नामान्तरण वसीयतग्रहीता हमीदा बी जोजे शेख छोटा के पक्ष में तथा शेख ख०नं० 355 रकबा 1-09 बीघा (sole owner) व शामलाती ख०नं० 362 रकबा 0-10 बीघा का नामान्तरण पटवारी रिपोर्ट के अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया गया था अर्थात शेख बशीर की कुल भूमि में से ख० नं० 370 सम्पूर्ण को वसीयत के आधार पर हमीदा बी के खाते तथा ख०नं० 355 को तीनों वारिसान के 1/3-1/3 हिस्सा और शामलाती ख०नं० 362 में तीनों वारिसान का 1/6-1/6 नाम दर्ज करने को स्वीकृति दी गई थी।
	अपी० अप्रार्थीगण द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक 06/06/1992 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेख वहीदुल्ला खां पिता शेख बशीर व नजीरन बी पुत्री शेख बशीर ने वादग्रस्त भूमि० ख०नं० 355 रकबा 1-09 बीघा एवं ख०नं० 362 रकबा 0-10 बीघा में से अपने दर्ज हिस्से का रुपये 12000/- में बेचान सहखातेदार भाई शेख छोटा कर दिया था जबकि शेख यासीन के वारिसान ख०नं० 362, 356 व 369 में अपने दर्ज हिस्से का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 03/12/1991 को हमीदा बी जोजे शेख छोटा को रुपये 32000/- में कर दिया था। इसके बाद शेख छोटा (व हमीदा बी) ने अपने खाते की भूमि का बेचान (शेख छोटा को)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	4.	
	दिनांक 17/06/2002 को अप्रार्थी 1 मुन्नी बी को दिया था और जर्ये नामा० सं० 899 दिनांक 30/07/2002 अप्रार्थी 1 खातेदार दर्ज हुई और वर्ष 2002 से लगातार खातेदार दर्ज चली आ रही है।	
	नामा० सं० 602 दिनांक 27/11/1991 के अनुसार खातेदार शेख बशीर ने अपने खाते की भूमि ख० नं० 370 रकबा 1-08 बीघा की रजि० वसीयत हमीदा बी जोजे शेख छोटे खां के पक्ष में करने पर तहसीलदार पिडावा द्वारा हमीदा बी के पक्ष में mutation sal किया गया। उक्त रजि० वसीयत को किसी सक्षम कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने का कोई भी दस्तावेज रिकार्ड पर पेश नहीं है, ना ही उक्त नामान्तरण को नजीरन बी ने विगत 33 वर्षों में अपील पेश करने का भी साक्ष्य पेश नहीं है जबकि 30 days में अपील दायर करनी चाहिए थी। इसके बाद हमीदा बी व शेख छोटा द्वारा प्रति 1 के पक्ष में किये अन्तरणों (transfers) की भी सक्षम कोर्ट में अपील किये जाने का भी कोई साक्ष्य प्रार्थिया ने पेश नहीं किया है।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर ना तो प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।	
	प्रकरण में प्रार्थी कोई भी अपूरणीय क्षति कारित होने का साक्ष्य भी पेश नहीं	

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म
	5.	
	है। प्रार्थी का कोई भी हक व अधिकार निहित होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होने से अपूरणीय क्षति कारित होना भी साबित नहीं है।	
	2. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 41 (5) 212 RT Act खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी स्वतः ही खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़	[signature] 14/5/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)	